(75)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 248 /2011/190(120)/XXVII(8)/2008
दिनांकः देहरादून : 12 अगस्त, 2011

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन हैः–

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (6) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में विद्यमान अधिसूचना संख्या 1174/2010/190(120)/XXVII(8)/2008 दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 को अधिक्रमित करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट/ मिलैट्री कैन्टीन के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के भीतर तैनात अथवा निवास कर रहे, जैसी भी स्थिति हो, भारतीय सशस्त्र बल/अन्य प्रतिरक्षा अधिष्ठानों के सदस्यों अथवा भूतपूर्व सैनिकों को कमान्डिंग आफिसर की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र, जिसमें उक्त अधिनियम के अधीन कर प्रभारित किये बिना बिक्री की संस्तुति की गई हो, के आधार पर–

(क) मोटर साइकिल, स्कूटर, मापेड जिसमें बैट्री चलित यान भी सम्मिलित हैं(विक्रय मूल्य सीमा अधिकतम ₹ एक लाख);

(ख) निजी उपयोग हेतु वाहन चालक की सीट सहित अधिकतम 7 सीट की क्षमता वाले हल्के मोटर यान, जिसमें एस0यू0वी0 सम्मिलित हैं (विक्रय मूल्य सीमा अधिकतम ₹ बारह लाख);

की ब्यौहारी द्वारा की गयी बिक्री के आवर्त पर निम्न शर्तो के अध्यधीन उक्त अधिनियम के अधीन कर संदेय नहीं होगा–

शर्तें

(एक) प्राधिकार पत्र दो प्रतियों में सम्बन्धित ब्यौहारी को निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति व्यवहारी के कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी। ब्यौहारी प्राधिकार पत्र की एक प्रति वार्षिक विवरणी के साथ कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा;

(दो) ब्यौहारी कर अवधि की विवरणी के साथ प्राधिकार पत्र के सापेक्ष की गयी बिक्री की सूची संलग्न करेगा;